

भारत सरकार  
रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
औषध विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 4701  
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

एपीआई विनिर्माण इकाइयां

4701. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का विचार आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में कोई नई सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई) विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने का है;
- (ख) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ में किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष योजना लागू करने का है; और
- (ग) सरकार द्वारा विशेषकर दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में किसानों को किफायती दरों पर उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) और (ग): उर्वरक विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य समेत सभी राज्यों के दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा हर फसल मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

- (i) प्रत्येक फसल मौसम की शुरुआत से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और महीना-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

- (ii) अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके और उपलब्धता की निरंतर निगरानी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करता है।
- (iii) देश भर में सभी प्रमुख सब्सिडी वाले उर्वरकों की आवाजाही की निगरानी एक ऑनलाइन वेब-आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है, जिसे एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली कहा जाता है।
- (iv) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएण्डएफडब्ल्यू) तथा उर्वरक विभाग द्वारा राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है तथा राज्य सरकारों के यथा निर्देशानुसार उर्वरकों को भेजने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

राज्य के भीतर उर्वरकों का वितरण, जिला स्तर पर, संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य में यूरिया, डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम (एनपीके) की उपलब्धता के संबंध में, उर्वरक विभाग ने सूचित किया है कि वर्तमान रबी फसल मौसम 2024-25 के दौरान यह पर्याप्त रहा है, जैसा कि नीचे दिए गए सारणीबद्ध आंकड़ों से देखा जा सकता है:

**वर्तमान रबी फसल मौसम 2024-25 के दौरान छत्तीसगढ़ में उर्वरकों की स्थिति  
(दिनांक 23.3.2025 तक)**

(आंकड़े मिलियन टन में)

क्र.सं.	उत्पाद	फसल मौसम में रबी की आवश्यकता 2024-25	1.10.2024 से 23.3.2025 की अवधि के लिए आनुपातिक आवश्यकता	1.10.2024 से 23.3.2025 की अवधि के दौरान उपलब्धता	1.10.2024 से 23.3.2025 की अवधि के दौरान संचयी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण बिक्री	23.3.2025 की स्थिति के अनुसार क्लॉजिंग स्टॉक
1	यूरिया	2,40,000	2,33,806	4,41,810	2,73,260	1,68,550
2	डीएपी	70,000	68,710	1,32,590	92,090	40,500
3	एमओपी	15,000	14,613	54,630	16,850	37,780
4	एनपीके	60,000	58,452	94,860	53,250	41,610
1. आरामदायक उपलब्धता का प्राथमिक सूचक उपलब्धता का आवश्यकता से अधिक होना है।						
2. आरामदायक उपलब्धता का द्वितीयक सूचक यह है कि उपलब्धता, बिक्री से अधिक है।						

\*\*\*\*\*